



तनावग्रस्त आस्तियों (एसएमए एवं एनपीए) हेतु जिनके पुनरुत्थान की व्यापक संभावना होती है, कंपनी ऋण पुनर्गठन व्यवस्था एक संकल्पात्मक विकल्प बनकर उभरा है। संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली से सीडीआर के अंतर्गत लाई गई 165 कंपनियों में से 61% कंपनियों के मामलों में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण दिया गया है (अर्थात् 101 कंपनियों में रु.7649 करोड़ का ऋण दिया गया है)।

इनमें से, सीडीआर मामलों का 21% अर्थात् 29% ऋण युक्त (रु.2,196 करोड़) 22 कंपनियों का पुनरुत्थान हो चुका है एवं उन्नत निष्पादन के फलस्वरूप इन्हें सीडीआर से बाहर निकाल लिया गया है, इनमें से कुछ कंपनियाँ अब उच्च संवृद्धि वाली कंपनियाँ हैं। 23 अन्य मामलों को भी सीडीआर प्रणाली से बाहर निकाल दिया गया है। 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार सीडीआर के अंतर्गत 56 सक्रिय मामले हैं जिनमें रु.4,409 करोड़ का ऋण दिया गया है। इसमें से 34 मामलों को जिनमें रु.3,408 करोड़ का ऋण (77%) दिया गया है, “मानक आस्तियों” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

झ.1.3 दो वित्तीय आस्तियाँ जिनकी मूल धन बकाया राशियाँ रु.25.22 करोड़ हैं, वर्ष के दौरान अन्य बैंकों / एआरसीआइएल को बेच दी गई हैं।

झ.1.4 बैंक द्वारा रु. 9 करोड़ के ऋण जोखिम वाली एक आस्ति की खरीद जिसके साथ बैंक ने अलाभकारी आस्तियों की खरीद का सिलसिला शुरू कर दिया है।

ज. सूचना प्रौद्योगिकी :

वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक को अत्यधिक सक्रिय संगठन के रूप में रूपांतरित करने की दृष्टि से बैंक द्वारा किए गए सूचना प्रौद्योगिकी विषयक उपायों की प्रमुख भूमिका रही है। व्यवसाय और बाजार अंश के लिए उत्तरोत्तर बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करने, आंतरिक परिचालन में दक्षता प्राप्ति तथा ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंक रणनीतिक पहल के तहत महत्वाकांक्षी प्रौद्योगिकी नीति का पालन कर रहा है। उपर्युक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा उठाए गए सूचना प्रौद्योगिकी विषयक उपायों को और भी विस्तारित किया गया जिससे कि और अधिक बैंकिंग संपर्क केंद्रों एवं संपूर्ण व्यवसाय को इसके अंतर्गत समाहित किया जा सके।

ज.1 कोर बैंकिंग :

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के अंतर्गत अबतक 9390 देशी शाखाएँ सम्मिलित की जा चुकी हैं जो बैंक का 98% से भी अधिक देशी व्यवसाय निष्पादित करती हैं। कोर बैंकिंग समाधान के अंतर्गत मल्टीसिटी चेकों एवं अन्य उत्पादों के माध्यम से कभी भी-कहीं भी बैंकिंग की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक की 407 शाखाओं में कोर-एकीकृत व्यापार वित्त समाधान की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक ने अपने ग्राहकों को व्यापारिक लेनदेनों हेतु संपूर्ण विशिष्टताओं से युक्त "इंट्रेड एसबीआइ" इंटरनेट सुविधा प्रदान की है।

ज 2 इंटरनेट बैंकिंग : इंटरनेट बैंकिंग को 9,112 देशी शाखाओं में लागू किया गया है। पृष्ठताछ, लेखा विवरण डाउनलोड करने, ई-रेल, इंडियन एयरलाइन्स की ई-टिकटिंग, ई-टैक्स, शुल्क भुगतान, ई-भुगतान (ऑनलाइन युटिलिटी बिल भुगतान), कारपोरेट द्वारा थोक

भुगतान, वीसा मनी ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटिलमेंट एवं एनईएफटी के जरिए हमारे बैंक के तथा अन्य बैंकों के ग्राहकों को निधियाँ अंतरित करने आदि के लिए खुदरा बैंकिंग के ग्राहकों के साथ-साथ कारपोरेट ग्राहकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे इंटरनेट बैंकिंग से हमारे कारपोरेट ग्राहकों को इंटरनेट के जरिए लगभग अपने सभी बैंकिंग लेनदेन पूरा करने में सहायता मिलती है। कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग खाता “विस्तार” के जरिए कारपोरेट अपने कार्यालय में ही बैठे-बैठे रु. 500 करोड़ तक के लेनदेन कर सकते हैं। कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग के ग्राहक ऑनलाइन पर ड्राफ्ट जारी करने का अनुरोध भी कर सकते हैं। वे अपने आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं को भुगतान करने के अलावा ईपीएफओ, डीजीएफटी एवं ओलटास के भुगतान भी कर सकते हैं।

ज 3 : विदेश स्थित कार्यालयों के लिए परियोजना : कोष एवं कोर बैंकिंग समाधान के लिए फिनाकल सॉफ्टवेयर को 32 देशों के 82 विदेशी कार्यालयों में लागू किया गया है। हमारे 70 विदेशी कार्यालय 17 देशों में इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रदान करने में सक्षम हैं। 11 देशों की शाखाओं में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आइ एन आर प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा शीघ्र ही सभी विदेशी शाखाओं को प्रदान की जाएगी। विदेश स्थित हमारे 7 कार्यालयों में एटीएम की सुविधाएँ उपलब्ध करवा दी गई हैं।

ज 4 : एटीएम : हमारे पास देश का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत देश भर में लगाए गए स्टेट बैंक समूह के 8,460 एटीएम हैं। हमारे एटीएम, युटिलिटी बिलों के भुगतान, मोबाइल टॉप-अप, एसबीआइ कार्ड बिल भुगतान, एसबीआइ लाइफ प्रीमियम भुगतान, न्यासियों / मंदिरों को दान एवं निधि अंतरण जैसी विभिन्न मूल्ययोजित सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम हैं। इसके अलावा 13 बैंकों के साथ द्विपक्षीय सहयोग से हमारे ग्राहकों को 10,500 एटीएमों का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। मार्च 2009 तक कुल 15,000 एटीएम वाला नेटवर्क और मार्च 2010 तक 25000 एटीएम वाला नेटवर्क तैयार करने की हमारी योजना है।

ज 5 : भुगतान प्रणाली समूह : अपने भुगतान प्रणाली समूह के जरिए हमने रियल टाइम ग्रॉस सेटिलमेंट के लिए 8,817 शाखाओं को तथा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए 9425 शाखाओं को सक्षम बनाया है। विदेश स्थित कार्यालयों से स्टेट बैंक समूह की किसी भी शाखा के कोर बैंकिंग खातों में सीधे जमा के लिए हमने तत्काल आवक रुपया प्रेषण शुरू किया है। इस सुविधा को रियल टाइम ग्रॉस सेटिलमेंट तथा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के साथ समेकित किया है, जिससे विदेश स्थित कार्यालयों को हमारे देश में किसी भी बैंक को धन प्रेषित करने में सहायता मिलती है। भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत कोर बैंकिंग शाखाओं से नेपाल के लाभार्थियों को ऑनलाइन रुपया भेजने की सुविधा प्रदान की गई है, जो कि इस वर्ष के दौरान शुरू किया गया एक अन्य उत्पाद है। देश के अन्य बैंक भी इस सुविधा के जरिए नेपाल को रुपया भेज सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहले अपने यहाँ लेनदेन शुरू करना होगा और बाद में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिए उसे भुगतान प्रणाली समूह के भुगतान केंद्र को भेजना होगा।

ज 6 सूचना सुरक्षा : अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के समकक्ष बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं सूचना सुरक्षा नीति लागू की गई। पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से बैंक की सूचना प्रणालियों की नियमित समीक्षा की जाती है।





CDR system has done well as a resolution option for stressed assets which are seen to have the potential for revival. Out of 165 companies brought under CDR from the entire Banking System, SBI has an exposure in 61% cases (i.e. in 101 companies with exposure of Rs. 7,649 crore).

Out of these, 21% of CDR cases i.e. 22 companies carrying 29% exposure (Rs. 2196 crore) have been revived and have since exited CDR due to improved performance – a few of these being now high growth companies. 23 other cases have been withdrawn from CDR system. Live cases under CDR as on 31.03.2008 number 56, amounting to Rs. 4,409 crore, of which, 34 cases with Rs.3,408 crore (77%) exposure are classified as "Standard".

I.1.3. Two Financial Assets involving principal outstanding of Rs.25.22 crore have been sold to other banks / ARCIL during the year.

I.1.4. One asset with an exposure of Rs.9.00 crore has been purchased with which a beginning has been made in purchase of NPAs by the Bank.

J. INFORMATION TECHNOLOGY:

Our IT initiatives have played a major role in transforming the Bank into a highly responsive organization to meet the challenges of a globalised economy. The Bank is pursuing an aggressive IT policy as a strategic initiative to meet the growing competition for business, achieve efficiency in internal operations and meet customer expectations. With this end in view, the reach of our IT initiatives was expanded to cover more banking touch points and overall business.

J.1. Core Banking: Core Banking Solution (CBS) presently covers 9390 domestic branches transacting more than 98% of the Bank's domestic business. CBS offers anytime anywhere banking through Multicity Cheques and other products. Our 407 branches have been enabled for Core integrated Trade Finance solution. We have provided to our customers a full featured internet frontend 'eTradeSBI' for their trade related transactions.

J.2. Internet Banking: Internet Banking has been implemented at 9112 domestic branches, and is used by retail banking as well as Corporate customers for enquiry, downloading account statements, e-rail, e-ticketing for Indian Airlines, e-tax, fee payment, e-pay (online utility bill payment), Bulk payments by corporates, funds transfer to customers of our Bank as well as of other banks through Visa Money Transfer, RTGS and NEFT. Our Corporate Internet Banking

(CINB) enables our corporate customers to transact almost all of their banking transactions through internet. Through our fully featured CINB account 'Vistaar' (Freedom), corporates can make transactions upto an amount of Rs 500 crore per transaction from their own offices. CINB customers can also submit online requests for issue of drafts. They can also make payments to EPFO, DGFT and OLTAS besides making payments to their suppliers and vendors.

J.3. Foreign Offices Project: Finacle software for Treasury and Core Banking Solution has been implemented at 82 foreign offices in 32 countries. Our 70 foreign offices have been enabled in 17 countries to offer Internet Banking. INR remittance facility through Internet Banking has been provided to branches in 11 countries. This facility will be extended to all the foreign branches soon. ATM facilities have also been provided in 7 of our foreign offices.

J.4. ATMs: We have the largest ATM network in the country with 8460 ATMs of State Bank Group installed throughout the length and breadth of the country. Our ATMs are enabled for various value added services like payment of utility bills, mobile top up, SBI card bill payment, SBI Life premium payment, donation to Trusts / Temples and funds transfer. Further, bilateral sharing of ATMs with thirteen banks has brought additional 10500 ATMs within the reach of our customers. We have plans to scale up our ATM network to 15000 by March 2009 and to 25000 by March 2010.

J.5. Payment Systems Group: Through our Payment Systems Group (PSG), we have enabled 8817 branches for RTGS and 9425 branches for NEFT. We also introduced Instant Inward Rupee remittances from Foreign Offices (FOs) for direct credit to CBS accounts in any of the State Bank Group branches. This facility has also been integrated with RTGS and NEFT enabling Foreign Offices to send Rupee remittances to any Bank in the country. On-line Rupee remittance facility to beneficiaries in Nepal from authorised CBS branches of SBI is another product introduced during the year. Other banks in the country can also effect Rupee remittances to Nepal through this facility by originating the transactions at their end and forwarding them through NEFT to the Payment Hub at PSG.

J.6. Information Security: IT Policy and IS Security Policy have been implemented after being benchmarked against best global practices. The Bank's Information Systems are regularly reviewed to ensure that these are adequately secure.





ज 7 नेटवर्किंग : स्टेट बैंक कनेक्ट जो कि बैंक की “वाइड एरिया नेटवर्किंग” प्रोजेक्ट (वैन) है, सुरक्षित रूप से आँकड़ों, ध्वनि एवं दृश्य संप्रेषण करने में समर्थ है। वे सभी अनुप्रयोग जिनके लिए कनेक्टिविटी अपेक्षित है, इस समय स्टेट बैंक कनेक्ट पर ही चलाए जा रहे हैं। अभी तक कुल 14625 शाखाओं/कार्यालयों को स्टेट बैंक कनेक्ट के अधीन लाया गया है।

	विविध परिचालन
ट	जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण
ठ	व्यवसाय आसूचना
ड	ग्राहक सेवा एवं सामाजिक सेवा बैंकिंग

ट. जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण

भारतीय स्टेट बैंक में जोखिम प्रबंधन

ट.1. जोखिम प्रबंधन संरचना

- अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के समकक्ष बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन संरचना शुरू की गई। व्यवसाय में मात्रा एवं जटिलता बढ़ जाने के कारण जोखिम प्रबंधन का महत्व काफी बढ़ गया है। तदनुसार इस महत्वपूर्ण कार्य को अपेक्षित महत्व दिलाने की दृष्टि से बैंक ने बोर्ड स्तर पर प्रबंध निदेशक को मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त कर इस कार्य को और उन्नत बनाया है।
- बैंक के बोर्ड ने अपने सभी संविभागों में ऋण, बाजार, परिचालन, चलनिधि, बाजार दर जोखिम जैसे जोखिमों को मापने, उनका प्रबंधन करने तथा उनको कम करने के लिए कई नीतियों एवं कार्यविधियों को अनुमोदित किया है।
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति जोखिम प्रबंधन की नीति एवं कार्यविधि का पर्यवेक्षण करती है। इसके अलावा, अपने संबद्ध क्षेत्रों में अनवरत आधार पर जोखिमों की निगरानी के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन, आस्ति देयता, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति जैसी विभिन्न जोखिम समितियाँ विद्यमान हैं।

ट.2. बेसल II की ओर अंतरण

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण तथा परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण के साथ 31 मार्च 2008 को बेसल II मानदंडों को अपना लिया है। साथ ही बैंक ने 31 मार्च 2006 से बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति को पहले ही लागू कर दिया है। साथ ही प्रगत दृष्टिकोणों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रणालियों एवं कार्यविधियों, सूचना प्रौद्योगिकी

क्षमताओं एवं जोखिम अभिशासन संरचना को अद्यतन बनाने के लिए प्रक्रियाएँ पहले से ही उपलब्ध हैं।

ट.3. ऋण जोखिम प्रबंधन

- ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में ऋण जोखिमों की पहचान, उनका मूल्यांकन एवं मापन, उनकी निगरानी तथा नियंत्रण शामिल हैं।
- बैंक के पास बहुविध ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल उपलब्ध हैं, जिनमें विनिर्माण, व्यापार, गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम, बैंक एवं प्राथमिक विक्रेता शामिल हैं। विनिर्माण एवं व्यापार क्षेत्रों के लिए जिन ऋण जोखिम मॉडलों को तैयार किया गया है, उनमें बेसेल II के प्रगत आंतरिक आधारित दृष्टिकोण के अधीन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुधार किया गया है। अन्य मॉडलों की समीक्षा भी की जा रही है।
- बैंक प्रत्येक उद्योग में विद्यमान जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उद्योगों का अध्ययन करता है तथा प्रचालन पदाधिकारियों को इन उद्योगों को ऋण देने के मामले में दिशानिर्देश भी देता है। उद्योग-वार निवेश सीमाओं का निर्धारण किया जाता है और नियमित रूप से उनकी मॉनीटरिंग की जाती है।
- बैंक जोखिम गुणवत्ता, भौगोलिक, औद्योगिक, परिपक्वता और बड़े जोखिमों को सीमित करने के दृष्टिकोण से अपनी ऋण आस्ति संविभाग का प्रबंधन करता है।

ट.4. बाजार जोखिम प्रबंधन

- बाजार जोखिम एक ऐसा जोखिम है, जिससे ब्याज दर, विनिमय दर, ईक्विटी एवं वस्तु दर आदि जैसे बाजार चर वस्तुओं में परिवर्तन से बैंक के तुलन पत्र की और इतर स्थिति प्रभावित होती है।
- बांड, ईक्विटी एवं विदेशी मुद्रा में निवेश एवं व्यापार के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों से बाजार जोखिम प्रबंधन अभिशासित होता है। बाजार जोखिम की पहचान, उनका मापन, उनकी मानीटरिंग एवं रिपोर्टिंग बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा की जाती है, जो बैंक की स्वतंत्र जोखिम अभिशासन संरचना का ही एक अंग है।
- निवेश, हानि को रोकने एवं अवधि आदि की सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। अन्य प्रबंधन कार्य सतर्कता के साथ प्रति दिन इन सीमाओं का पता लगाया जाता है और बाजार जोखिम को नियंत्रित एवं कम करने के लिए अपेक्षानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।
- इसके अलावा, गहन मानीटरिंग के प्रयोजन से दैनिक आधार पर जोखिम-मूल्य तय किया जाता है। इन मापों को मान्य बनाने के लिए जोखिम-मूल्य संख्याओं का प्रति-परीक्षण भी किया जाता है। संविभाग को भी विभिन्न परिस्थितियों के अधीन तनाव परीक्षण के अंतर्गत रखा जाता है, ताकि मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव होने पर होने वाले नुकसान को जाना जा सके।





J.7. Networking: State Bank Connect, the Wide Area Networking (WAN) project of the Bank, is capable of carrying data, voice and video in a secure way. All Applications requiring connectivity now ride on the State Bank Connect backbone. A total of 14625 branches / offices have so far been brought under State Bank Connect.

Miscellaneous Operations	
K	Risk Management & Internal controls
L	Business Intelligence
M	Customer Service & Community Services Banking

K. RISK MANAGEMENT & INTERNAL CONTROLS

RISK MANAGEMENT IN SBI

K.1. Risk Management Structure

- An independent Risk Governance structure in line with the international best practices has been put in place in the Bank. In view of the growing volume and complexity in business, risk management has assumed critical importance. Accordingly, the Bank has elevated the risk function to Board level by appointing the Managing Director as Chief Risk Officer to ensure this crucial function gets the importance it deserves.
- The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage, mitigate various risks such as Credit, Market, Operational, Liquidity, and Interest Rate Risks across all its portfolios.
- The Risk Management Committee of the Board oversees the policy and strategy for risk management. In addition, various Risk Committees, namely the Credit Risk Management, Asset Liability, Market Risk Management and Operational Risk Management Committees are in place to monitor risks in their respective areas on an ongoing basis.

K.2. Migration to Basel II

- The Bank, as per RBI Guidelines, has migrated to Basel II as on 31st March 2008 with the Standardized Approach for Credit Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk, having already implemented Standardized Duration Method for Market Risk with effect from 31.03.2006. Simultaneously, processes have been set in train for fine-tuning Systems & Procedures, Information Technology capabilities and Risk

Governance Structure to meet the requirements of the Advanced Approaches.

K.3. Credit Risk Management

- Credit Risk Management processes encompass identification, assessment, measurement, monitoring and control of the credit exposures.
- The Bank has multiple Credit Risk Assessment models in place covering Manufacturing, Trade, Non-Banking Financial Corporations, Banks and Primary Dealers. The Credit Risk Models developed for Manufacturing and Trading sectors have been refined to conform to the requirements under Advanced Internal Based Approach of Basel II. The other models are also being reviewed.
- The Bank conducts Industry studies to assess the Risk prevalent in each industry and also gives guidelines to operating functionaries in lending to these industries. Industry wise exposure limits are fixed and monitored regularly.
- The Bank manages its portfolio of loan assets with a view to limiting concentrations in terms of risk quality, geography, industry, maturity and large exposure.

K.4. Market Risk Management

- Market risk is the risk that the value of the “on” & “off” balance sheet positions of the Bank will be adversely affected by movements in market variables viz: interest rates, exchange rates, equity and commodity prices.
- Market Risk Management is governed by Board approved Policies for Investment and Trading in Bonds, Equities and Foreign Exchange. The identification, measurement, monitoring and reporting of Market Risk is done by the Market Risk Management Department which is a part of the independent Risk Governance Structure of the Bank.
- Exposure, Stop loss and Duration limits have been prescribed. These limits along with other management action triggers, are tracked daily and necessary action initiated as required to control and manage Market Risk.
- In addition, Value at Risk (VaR) is generated on a daily basis for the purpose of close monitoring. Back testing of VaR numbers is also carried out to validate these measurements. The portfolio is also subjected to Stress testing under various scenarios so that a proper understanding of the potential losses under extreme price movements is always kept in view.

